

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।

(विधि शाखा)

अधिहरण (Confiscation) वाद सं०-11/2022-23

सरकार

-बनाम-

गौतम सिंह खेरवार वगै०

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक -1586/अप०शा० दिनांक - 16.06.2022 के द्वारा वादी श्री राजेश हांसदा पे०-स्व० राम हांसदा सा०-गौरखुट्टी (भौरा) थाना-सुदामडीह जिला-धनबाद सम्प्रति खान निरीक्षक जिला खनन कार्यालय गुमला के कम्प्यूटरकृत आवेदन के आधार पर सिसई थाना काण्ड सं०-15/2022 दिनांक-31.01.2022 धारा-379/411 भा०द०वि० 54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली-2004 एवं 7/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम-2017 के तहत जप्त स्वराज ट्रैक्टर निबंधन सं० - JH07G- 7565 के मालिक गौतम सिंह खेरवार पे०-स्व० बुधराम सिंह सा०-कोनबीर नावाटोली थाना- बसिया जिला-गुमला एवं महिन्द्र ट्रैक्टर निबंधन सं०- JH07D- 3961 राम प्रसाद साहु पे०-हरिमोहन साहु सा०-सकरौली थाना-सिसई जिला-गुमला के विरुद्ध राजसात करने का प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी को नोटिस निर्गत किया गया। उनके वाद इस वाद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखायी गयी इसलिये उनका पक्ष को नहीं सुना गया।

पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन में अंकित है कि जिला खान पदाधिकारी गुमला के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक अभियुक्त जप्त स्वराज ट्रैक्टर निबंधन सं० - JH07G- 7565 के मालिक गौतम सिंह खेरवार पे०-स्व० बुधराम सिंह सा०-कोनबीर नावाटोली थाना- बसिया जिला-गुमला एवं महिन्द्र ट्रैक्टर निबंधन सं०- JH07D- 3961 राम प्रसाद साहु पे०-हरिमोहन साहु सा०-सकरौली थाना-सिसई जिला-गुमला के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का उत्खनन एवं परिवहन करने के आरोप में अंकित किया गया है एवं इस कांड के विरुद्ध झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली-2004 (यथा) संशोधित) के नियम-4 एवं 54 MMDR Act. 1957 के धारा-4 एवं 21 तथा Jharkhand Minerals Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage Rules-2017 के नियम-7 एवं 13 के तहत मालिक के विरुद्ध सत्य पाया गया है।

पुलिस अधीक्षक गुमला से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। पुलिस अधीक्षक, गुमला के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्वराज ट्रैक्टर निबंधन सं० -JH07G- 7565 एवं महिन्द्र ट्रैक्टर निबंधन सं०- JH07D- 3961 के द्वारा बालू चोरी के आरोप को सत्य पाया गया है।

The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:-

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall

buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer.”


(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.


(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं०-360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि “Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence, the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana”

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नहीं रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नहीं होने के कारण उसको अवैध रूप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त बालू एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है। अभी तक किसी के द्वारा उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं स्वराज ट्रैक्टर निबंधन सं० - JH07G-7565 एवं महिन्द्र ट्रैक्टर निबंधन सं०- JH07D-3961 को राजसात करता हूँ।
आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी को दे।

लेखापित एवं संशोधित


04.10.22
उपायुक्त,
गुमला


04.10.22
उपायुक्त,
गुमला